न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 119/2019 निर्णय दिनांक :– 26-12-19

उनवान

1. जगदीश पुत्र श्री नारायण जाति यादव निवासी ग्रम भोज्याडा तहसील चाकसू जयपुर।

––वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री लादू
2. रामेश्वर पुत्र श्री लादू
3. बाबूलाल पुत्र श्री गोपाल
4. शांति पत्नि श्री गोपाल
5. रामप्रसाद पुत्र स्व0 श्री भूरा
6. बजरंग लाल पुत्र स्व0 श्री भूरा
7. रामफूल पुत्र स्व0 श्री भूरा
8. किशन पुत्र स्व0 श्री भूरा
9. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री भूरा
10. गेदी पत्नि स्व0 श्री भूरा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

समस्त जाति यादव, निवासी– ग्राम भोज्याडा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

11. श्री महादेव जी महाराज मन्दिर शाश्वत नाबालिग ग्राम – भोज्याडा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैं किया कि है कि तहसील चाकसू के ग्राम भोज्याडा मे वादी की भूमि खसरा नं. 44/1, 45/1842, 46/1843, 47/1, 44/1839, 48/1, 48/1840 कुल किता 7 कुल रकबा 2.71 है0 स्थित है कुल किता 7 कुल रकबा 2.71 है0 स्थित है इसमें से वादी के खसरा न. 44/1 के वर्तमान राजस्व नक्शे व सीमाओ का ही विवाद मात्र दावे में विवादित है। वादी के इस नम्बर के ठीक लगवा दक्षिणी ओर प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का खसरा नं. 44 रकदा 3.37 है0, स्थित है इस दावे में उक्त दोनों नम्बर व इनकी सीमाओं व राजस्व नक्शे बाबत हो विवाद इस दावे में विवादित है। पूर्व में वादी व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नं. 1 से 10 के विवादित खसरो का एक ही नम्बर 44 था जो अन्य खसरो के साथ मिलकर कुल 12.32 है0 का एक खाता वादी, प्रतिवादीगण व अन्य सह–खातेदारों के नाम था जिसका न्यायालय श्रीमान द्वारा विधिवत विभाजन कर दिया गया जिस आदेश के आधार पर नामान्तकरण नं. 709 दिनांक 31.11.2017 स्वीकार होकर भूमि अलग अलग नाम दर्ज हो चुकी है। जिन समस्त भूमियों के खसरो नं. 44, 45, 1842, 46/1843, 47, 48, 49, 50, 51/1844, 52, 53, 54 कुल किता 11 कुल रकबा 12.32 है0 थे। उक्त सम्पूर्ण 12.32 हैं0 का साबिक खसरा नं. 5 था जिसके लगवा दक्षिण ओर प्रतिवादी नं. 11 का साबिक खसरा नं. 4 था तथा पूर्णतया सही था तथा पक्षकारान आज भी मौके पर साबिक नक्शे अनुरूप ही काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु गत सेटलमेग्ट में खसरा नं, 4 व 5 के बीच की साईन में परिवर्तन कर दिया जिससे वादी का खसरा नं. 5 के हाल नम्बरों का रकबा कम कर करीब 63 एयर नक्शा छोटा कर दिया तथा प्रतिवादी नं. 11 के नक्शे को बढ़ा दिया किन्तु मौके पर आज भी साबिक नक्शे अनुरूप काबिज कांश्त होने की बजह से पूर्व में कभी भी कोई भी विवाद नहीं हुआ। इसके बाद जब वादी प्रतिवादी नं. 1 से 10 व इनके पूर्व के सह–खातेदारो के बीच जब तकासमा न्यायालय श्रीमान द्वारा किया गया तो वादी को खसरा नं. 44/1 रकबा 1.78 है0 दिया गया तथा प्रतिवादी नं. 1 से 10 को

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

खसरा नं. 44 रकबा 3.37 है0 दिया गया किन्तु नक्शे में तरमीम करने पर या कुरेजात प्रस्ताव में गलती की बजह से वादी के नक्शे को 1.78 हैं0 के स्थान पर केवल 1.62 है0 ही कर दिया गया शेष प्रतिवादी नं0 1 से. 10 के नाम लगा दिया गया। जिससे प्रतिबादी नं. 1 से 10 के पास खसरा नम्बर 44 के वर्तमान नक्शे में से भी अधिक जमीन हो गई साथ ही खसरा नं. 43 एवं 43/1918 अर्थात जो साबिक खसरा नं, 4 से नये नम्बर बने किन्तु नक्शे में प्रतिवादी नं. 11 के ज्यादा भूमि हों गयी थी उस भूमि पर भी पूर्व के साबिक खसरा नं, 5 के अनुरूप ही प्रतिवादी ने. 1 से 10 का कब्जा रह गया। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 से 10 को नये व पुराने नक्शे में अन्तर होने का भी फायदा मिला साथ ही तकासमें की तरमीम में भी फायदा मिला। जिसका दुरूपयोग अब प्रतिवादी नं0 1 से 10 करना चाह रहे है। अगर वर्तमाने नक्शे तरमीमशुदा से नाप करते हैं तो प्रतिवादी नं. 1 से 10 वादी की पुख्ता मेड व तारबंदी को भी तोड़ते है जबकि वास्तव में प्रतिवादी नं0 1 से 10 के पास ज्यादा कब्जा है जिंसे समझने के लिये दावे के साथ एक नंजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें अंकित गुलाबी रंग वाले हिस्से पर प्रतिवादी नं. 1 से 10 का साबिक खसरा. नें, 5 के अनुरूष कब्जा काश्त है तथा पीले रंग से बताये गये स्थल पर बादी का कब्जा व पुख्ता तारबंदी हैं। वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने खसरों पर साबिक

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नक्शें अनुरूप पूवंजों के समय से लगातार शांतिपूर्वक श्कांबिज काश्त है किन्तु सह–खातेंदारों में तकासंमां होने के पश्चात प्रतिवादी नं. 1 से 10 की नियत में खोट आ गया है। वह गलत नक्शे की आड़ में वादी को मौके से बेदखल करना चाहते है इंसी प्रयास में कल दिनांक 03.06.2019 को भी प्रतिवादी नं0 1 से 10 मौके पर आये तथा जबरन वादी को बेदखल करने एवं तारबंदी तोड़ने के धमकी दीं। प्रतिवादीगण की धमकी व कार्यवाही को देखते हुए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय श्रीमान से घोषणा व इन्द्रज दुरूस्ती की डिक्री प्राप्त कर वादी व प्रतिवादीगण के राजस्व नक्शे को साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त करवा ले तथा अपने वर्तमान खसरा नं. 44/1 का भी नक्शा जमाबन्दी अनुरूप व साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्स्त करवा ले तथा प्रतिदादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दे कि वह बादी के बादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं कर, वादी को जबरन बेदखल नही करे, वादी की पुख्ता मेड़ व तारबन्दी को नही– तोड़े तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थितिं बनाये रखे। वाद हेतुक दिनांक 03/06/2019 को जब प्रतिवादी नं0 1 से 10 मौके पर आये तथा जबरन वादी को बेदखल करने एवं तारबंदी तोड़ने के धमकी दी तब से उत्पन्न होकर लगातार जारी है। दावा उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। दावा अन्दर मियाद

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

कानूव मियाद हैं। मान्य न्यायालय को दादा सुनने व तय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दावा बहक वादी विरूद्द प्रतिवादीगण घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के राजस्व नक्शे को साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जावे तथा वादी के वर्तमान खसरा नं. 44/1 का भी नक्शा जमाबन्दी अनुरूप व साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिय स्थायी निपधाज्ञा से पाबन्द किया जाचे कि वह वादी के वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे, वादी को जबरन बेदखल नही करे, वादी की पुख्ता मेड व तारबेदी को नही तोडे तथा मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तो प्रतिवादीगण स्वयं हाजीर अदालत आये व इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब दावा इकबालिया जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि वादी व प्रतिवादी ने जो तकासमा करवाया था, वो सहमति से था। अगर किसी कारणवश वादी की जमीन प्रतिवादी के खाते मे लग गई है तो उसको वापस वादी के खाते मे लगा दी जावे। वर्तमान नक्शे के मुताबिक सीमाज्ञान करवाकर वादी व प्रतिवादी को जमीन दिलाई जावे। वादी व प्रतिवादी के पडोस मे मन्दिर माफी की जमीन का

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नक्शा जमाबंदी के मुताबिक ज्यादा है। वादी व प्रतिवादी का जमाबन्दी के मुताबिक नक्शा 0.33 हैक्टयर छोटा है। अतः नक्शे को दुरस्त कर 0.14 हैक्ट0 वादी जगदीश व 0.19 हैक्ट0 प्रतिवादी राधेश्याम वगैरहा की दिलवायी जावे। इसमे समस्त प्रतिवादी गण सहमत है। प्रतिवादी राधेश्याम पुत्र लादुराम व सहखातेदार समस्त जाति यादव निवासी ग्राम भोज्याडा तहसील चाकसू जिला जयपुर ।

इकबालिया जवाब इकबालिया जवाब पेश करने से तनकीयात कायम नही की गयी व न ही साक्ष्य वादी ली गयी व सीधे ही दवे की बहस दावा वादी वकील व स्वयं प्रतिवादीगण की सुनी गयी तो वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि पूर्व में वादग्रस्त भूति वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के विवादित खसरो का एक ही मूल नम्बर 44 था जो अन्य खसरो के साथ मिलकर कुल 12.32 है0 का एक ही खाता वादी प्रतिवादीगण व अन्य सहखातेदारों के नाम था जिसका विधिवत विभाजन कर दिया जिस आदेश के आधार पर नामान्तकरण संख्या 709 स्वीकार होकर भूमि अलग अलग नाम दर्ज हो चुकी है समस्त भूमियों के खसरा नम्बर किता 11 रकबा 12.32 है0 थे। पक्षकारान आज भी मोके पर साबिक नक्शे अनुसार ही काबिज है। किन्तु सेटलमेंट में खसरा नम्बर 4 व 5 के बीच की साईट मे परिवर्तन कर दिया जिससे वादी का खसरा नम्बर 5 के हाल नम्बरों का रकबा कम कर करीब 63 एयर नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

छोटा कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 11 के नक्शे को बढा दिया किन्तु मौके पर आज भी साबिक नक्शे अनुरूप काबिज काश्त होने की वजह से पूर्व में कभी भी कोई विवाद नही हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा पेश इकबालिया जवाब में भी वादी के नक्शे को दुरूस्त किया जाना स्वीकार किया है। अतः वादी व प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि का नक्शा साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जावें व वर्तमान खसरा नबर 44/1 का भी नक्शा जमाबंदी अनुरूप साबिक नक्शे अनुरूप दुरूस्त किया जावे। जवाब बहस में प्रतिवादीगण ने अपना प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा का समर्थन करते हुये जवाब अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाना जाहिर किया। पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व दावा व इकबालिया जवाब दावा का एवं प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण किया गया तो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 व इनके पूर्व के सहखातेदारों के बीच जब तकासमा किया गया तो वादी को खसरा नम्बर 44/1 रकाब 1.78 दिया गया व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को खसरा नम्बर 44 रकबा 3.37 दिया गया किन्तु नक्शे में तरमीम करने पर या कुरेजात प्रस्ताव में गलती की वजह से वादी के नक्शे को 1.78 है के स्थान पर 1.62 है0 ही कर दिया शेष प्रतिवादी नमबर 1 से 10 के नाम लगा दिया जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पास खसरा नम्बर 44 को वर्तमान नक्शे से भी अधिक जमीन हो गयी, साथ ही खसरा नम्बर 43 व

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

43/1918 अर्थात जो साबिक खसरा नम्बर 4 के नये नम्बर के किन्तु नक्शे में प्रतिवादी संख्या 11 के ज्यादा भूमि हो गयी उस पर भी पूर्व के साबिक खसरा नम्बर 5 के अनुरूप ही प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का कब्जा रह गया। इस प्रकार नये व पुराने नक्शे में अन्तर होने का फायदा प्रतिवादी को मिला जो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 ने अपने इकबालिया जवाब दावे में अंकन किया है कि प्रतिवादी ने जो तकासमा करवाया था वो सहमति से था अगर किसी कारणवश वादी की जमीन प्रतिवादी के खाते में लग गयी तो उसको वापस वादी के खाते लगाना स्वीकार किया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन दावा जवाब दावा व प्रस्तुत दस्तावेजानुसार वादी का दावा स्वीकार किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादगण को वादग्रस्त भूमि के राजस्व नक्शे को साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जावे तथा वादी के वर्तमान खसरा नमबर 44/1 का भी नक्शा जमाबंदी अनुरूप व साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व नक्शे को जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार दुरूस्त किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.12 16:18:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: